जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P)–2020 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली (स्नातक)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)–2020 के क्रियान्वयन हेतु 'च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' (CBCS) एवं 'न्यूनतम समान पाठ्यक्रम' पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम की रूपरेखा

1. परिभाषाएँ–

1.1 **पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)**

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि।

1.2 **संकाय (Faculty)**

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है, यथा–कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

1.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1267 / सत्तर–3–2021–16 (26) / 2011, दिनांक: 15.06.2021 के अनुसार होगी। भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा, किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की प्रदान की जायेगी।

1.2.3 विश्वविद्यालय में संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था का गठन निम्नवत है:–

(1) **Faculty of Language (भाषा संकाय)**

1. अंग्रेजी (English)
2. हिन्दी (Hindi)
3. संस्कृत (Sanskrit)
4. उर्दू (Urdu)

(2) **Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)**

1. प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति Ancient History, Archaeology & Culture)
2. इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास) (History- Medieval & Modern History)
3. भूगोल (Geography)
4. रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन (Defence & Strategic Studies)
5. राजनीति विज्ञान (Political Science)
6. दर्शनशास्त्र (Philosophy)

7. पत्रकारिता एवं जनसंचार (Journalism & Communication)
8. मनोविज्ञान (Psychology)
9. समाजशास्त्र (Sociology)
10. समाजकार्य (Social Work)
11. शिक्षाशास्त्र (Education)
12. शारीरिक शिक्षा (Physical Education)
13. अर्थशास्त्र (Economics)
14. गृहविज्ञान (Home Science)
15. योग एण्ड नेचुरोपैथी (Yoga & Naturopathy)
16. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (Library and Information Science)

(3) **Faculty of Legal Studies (विधि संकाय)**

1. BA- LLB
2. BSC- LLB
3. BCom- LLB
4. LLB
5. LLM

(4) **Faculty of Science (विज्ञान संकाय)**

1. वनस्पति विज्ञान (Botany)
2. जन्तु विज्ञान (Zoology)
3. कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Computer Application)
4. कम्प्यूटर विज्ञान (Computer Science)
5. भौतिक विज्ञान (Physics)
6. गणित (Mathematics)
7. रसायन विज्ञान (Chemistry)
8. सांख्यिकी (Statistics)
9. जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान (Biotechnology)
10. फारेन्सिक विज्ञान (Forensic Science)
11. सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)
12. पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science)

(5) **Faculty of Agriculture (कृषि संकाय)**

1. कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान (Agricultural Chemistry & Soil Science)
2. आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन (Genetics & Plant Breeding)

3. कृषि अर्थशास्त्र (Agriculture Economics)
4. कृषि प्रसार (Agriculture Extension)
5. पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान (Animal Husbandry and Dairy)
6. उद्यान विज्ञान (Horticulture)
7. पादप रोग विज्ञान (Plant Pathology)
8. कृषि–कीट विज्ञान (Agricultural Entomology)
9. भूमि संरक्षण (Soil Conservation)
10. शस्य विज्ञान (Agronomy)
11. कृषि अभियंत्रण (Agricultural Engineering)

(6) **Faculty of Teacher Education (शिक्षक शिक्षा संकाय)**

1. B.Ed., M.Ed.
2. B.P.Ed., M.P.Ed.
3. B.El.Ed.

(7) **Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)**

1. B.Com.
2. M.Com.
3. Taxation (Goods & Service Tax)
4. बैंकिंग एवं बीमा (Banking and Insurance)

(8) **Faculty of Management (प्रबंधन संकाय)**

1. व्यवसाय प्रबंधन (Business Administration)–B.B.A. M.B.A.
2. पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन (Tourism & Hospitality Management)

(9) **Faculty of Fine Art and Performing Art (ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय)**

1. संगीत गायन (Music- Vocal)
2. संगीत वादन (Music Instrumental- Sitar & Tabla)
3. परफॉर्मिंग आर्ट इन वोकल म्यूजिक (Performing Art in Vocal Music)
4. परफॉर्मिंग आर्ट इन इन्स्ट्रूमेन्टल म्यूजिक (Performing Art in Instrumental Music)
5. रंगमंच एवं चलचित्र (Theature and Cinema)

(10) **Faculty of Medical Sciences**

BAMS

(11) **Faculty of Vocational Studies** (व्यावसायिक अध्ययन संकाय)

1. Advertising and Sales Promotion
2. Agribusiness Management
3. Airline, Tourism and Hospitality Management
4. Analytical Instrumentation.
5. Community Sciences(Home sciences)
6. Dairy Technology
7. Foreign Trade Practices and Procedures.
8. Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology
9. Multimedia, Animation and Graphics
10. Nutrition and Health care Sciences
11. Organic farming and Organic products
12. Principal & Practice of Insurance
13. Pearl Culture

(NSQF/UGC के दिशा निर्देशानुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम 40% (General) & 60% (Skill) व्यवस्था पर आधारित होंगे।

(12) **Faculty of Rural Science** (ग्रामीण विज्ञान संकाय)

1. सामुदायिक विकास एवं प्रसार (Community Development and Extension)
2. सहकारिता (Co-operation)
3. कृषि विपणंन (Agriculture Marketing)
4. उद्यान विज्ञान–ग्रामीण विज्ञान (Horticulture- Rural Science)
5. ग्रामीण उद्योग (Village Industries)
6. मत्स्य पालन (Fisheries)
7. ग्रामीण बैकिंग (Rural Banking)

1.3 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/ Paper)

1.3.1 एक विषय के विभिन्न सैद्धांतिक / प्रायोगिक कार्यक्रमों के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

1.3.2 सैद्धांतिक और प्रायोगिक के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

2. पाठ्यक्रम / कार्यक्रम लागू करने की समय सारिणी

2.1 तीन विषयों वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस–सी0 व बी0कॉम0) में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

2.2 स्नातक चार वर्षीय (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में CBCS आधारित नवींन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

2.3 Ph.D. कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी।

3. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

3.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय अपनी शैक्षणिक अर्हतानुसार एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा।

3.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

3.3 विद्यार्थी तृतीय वर्ष में प्रथम और द्वितीय वर्षों के तीनों मुख्य (मेजर) विषयों में से कोई भी दो विषय चुन सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

3.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन कर सकता है, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

3.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर होगा, न कि पूर्ण विषय।

3.6 माइनर इलेक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से लेना होगा। इसके लिए किसी भी Pre-Requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

3.7 बहुविषयकता (Multidiciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

3.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक विषय, अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो।

3.9 विद्यार्थी को स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर में तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव पेपर लेना अनिवार्य होगा।

3.10 माइनर इलेक्टिव पेपर/कोर्स का चुनाव विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्नांकित सूची से किया जायेगा।

संकाय	विषय/प्रश्नपत्र
भाषा संकाय	हिन्दी, अंग्रेजी
कला संकाय	समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान
वाणिज्य संकाय	वाणिज्य विषय

विज्ञान संकाय	वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान

चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी। परन्तु, माइनर पेपर/कोर्स की परीक्षा अलग से होगी।

4. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses)

4.1 स्नातक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 03 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स करना आवश्यक होगा। इसे सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

4.2 इस कोर्स की परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 40 अंकों की बाह्य मूल्यांकन (सैद्धांतिक) तथा 60 अंकों का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल) होगा। प्रत्येक वोकेशनल कोर्स को समेकित रूप से 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। बैक परीक्षा की सुविधा बाह्य एवं आन्तरिक मूल्यांकन दोनों में दी जायेगी।

4.3 स्नातक स्तर के विद्यार्थी को दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में लिए जाने वाले कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses) निम्नवत है:–

Semester – 1 (Any one)	1- Principles and Practice of Insurance
	2- Organic Farming.
Semester – 2 (Any one)	1- Advertising and Sales Promotion.
	2- Agribuisiness Management
Semester – 3 (Any one)	1- Community Science
	2- Analytical Instrumentation
Semester – 4 (Any one)	1- Foreign Trade Practices and Procedures
	2- Nutrition and Health Science

5. सह–विषय कोर्स (Co-Curricular Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक Co-Curricular Course करना अनिवार्य होगा।

5.2 इस कोर्स की परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 75 अंकों का बाह्य मूल्यांकन तथा 25 अंकों का सतत आन्तरिक मूल्यांकन होगा। प्रत्येक Co-Curricular Course को समेकित रूप में 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5.3 स्नातक स्तर के विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में लिये जाने वाले सह–विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses) निम्नवत हैं :–

स्नातक प्रथम सेमेस्टर	खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
स्नातक द्वितीय सेमेस्टर	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
स्नातक तृतीय सेमेस्टर	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment Studies)
स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर	शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
स्नातक पंचम सेमेस्टर	विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)
स्नातक षष्ठ सेमेस्टर	संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skills and Personality Development)

6. शोध परियोजना (Research Project)

6.1 स्नातक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को तीसरे वर्ष (पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर) तथा चतुर्थ वर्ष (सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर) में शोध परियोजना पूरी करनी होगी।

6.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बन्धित आठ क्रेडिट की लघु शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना अन्तर्नुशासनात्मक (Interdisciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

6.3 शोध परियोजना एक शिक्षक (सुपरवाइजर) के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। एक अन्य को–सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

6.4 विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजनाओं की संयुक्त रिपोर्ट/प्रतिवेदन (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में किया जायेगा। इसका उत्तीर्णांक 40 अंक होगा।

6.5 स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांक पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6.6 स्नातक (शोध सहित) के विद्यार्थी को चतुर्थ वर्ष में आठ क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी, जिसका मूल्यांकन सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में किया जायेगा। इसका उत्तीर्णांक 40 अंक होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांक पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

7.1 सैद्धान्तिक (Theory) पेपर के एक क्रेडिट हेतु एक घण्टा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घण्टे का शिक्षण कराना होगा।

7.2 प्रायोगिक (Practical)/इन्टर्नशिप/फील्डवर्क आदि में एक क्रेडिट हेतु दो घण्टे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घण्टे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घण्टे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घण्टे के कार्यभार के बराबर होगा।

7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एण्ड यूनिर्विसिटी स्टूडेन्ट्स (Academic Bank For College and University Students - ABACUS)" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूंनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0 आर0 ले सकता है।

7.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा, उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

7.6 यदि कोई तेज छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेता है, तो छात्र को न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अन्तराल की सुविधा होगी, परन्तु उसे डिग्री 03 वर्ष बाद ही मिलेगी। अन्तराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

7.9 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

7.10 यदि कोई छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

8.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

8.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

9. प्रवेश परीक्षा तथा समय–सारिणी

9.1 सभी महाविद्यालय प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारिणी (TimeTable) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय 'अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें, जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

9.2 सभी महाविद्यालय समय–सारिणी ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।

10. परीक्षा व्यवस्था

10.1 सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार ग्रेड में साफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

10.2 अप्रायोगिक विषय (Non-Practical Subject) - प्रत्येक प्रश्नपत्र की परीक्षा 100 अंकों में होगी। 25 अंक सतत् आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी।

सतत् आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित 25 अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा:–

- ⟹ 05 अंक छात्र की सापेक्षिक उपस्थिति से सम्बन्धित होंगे।
- ⟹ 05 अंक असाइनमेंट से सम्बन्धित होंगे।
- ⟹ 15 अंक छात्र के मिड सेमेस्टर सतत् आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित होंगे।

10.3 प्रायोगिक विषय (Practical Subject) - प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें सैद्धांतिक परीक्षा (बाह्य) 50 अंकों का तथा 25 अंकों का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन एवं 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रायोगिक परीक्षा में मिड टर्म परीक्षा नहीं करायी जायेगी।

10.4 विषम सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा आन्तरिक परीक्षक के द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। सम सेमेस्टर में आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षक द्वारा परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी।

10.5 सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य वोकेशनल और Co-Curricular Course विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) के आधार पर होगी।

11. कक्षोन्नतिः

11.1 स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर से अगले सम सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

11.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जाएगीः–

(i) विद्यार्थी वर्तमान वर्ष के दोनों सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो।

(ii) उसने दोनों सेमेस्टर मिलाकर कुल आवश्यक क्रेडिट का **न्यूनतम 50 %** क्रेडिट्स के पेपर्स (थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों।

(iii) विद्यार्थी को आवश्यक क्रेडिट प्राप्त होने पर ही उपाधि प्रदान की जायेगी।

प्रो0 (आर0एन0 मिश्र),
प्राचार्य, श्री मु0मनो0टा0पी0जी0 कालेज, बलिया

प्रो0 (बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय),
प्राचार्य, सतीश चन्द्र कालेज, बलिया

प्रो0 (अशोक कुमार सिंह),
राजनीति विज्ञान विभाग, कुँवर सिंह पी0जी0 कालेज, बलिया

डॉ0 (पुष्पा मिश्रा),
निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर

डॉ0 (अजय कुमार चौबे),
संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण

(एस0एल0 पाल),
कुलसचिव